भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 45 / 2015–2020
दिनांकः 29 नवम्बर, 2022

विषयः एचएस कोड 1006 40 00 के तहत नई नीतिगत शर्त को शामिल करना।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची–2 के अध्याय 10 के आईटीसी (एचएस) कोड 1006 40 00 के तहत नई नीतिगत शर्त को निम्नानुसार शामिल करती है:

आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	निर्यात नीति	नई नीतिगत शर्त
1006	ऑरगेनिक गैर–बासमती टूटे हुए चावल (आईटीसी एचएस 1006 40 00)	प्रतिबंधित	तथापि, **ऑरगेनिक गैर–बासमती टूटे हुए चावल सहित** ऑरगेनिक गैर–बासमती चावल का निर्यात दिनांक 19 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या 03 / 2015–2020 के तहत प्रावधानों के अनुसार अभिशासित होगा।

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

ऑरगेनिक गैर–बासमती टूटे हुए चावल सहित ऑरगेनिक गैर–बासमती चावल का निर्यात दिनांक 19 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या 03 / 2015–2020 के तहत प्रावधानों के अनुसार अभिशासित होगा।

संतोष कुमार सारंगी
29.11.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01 / 91 / 171 / 010 / एएम–23ईसी / ई–33294 से जारी)